मैसर्स श्री दुर्गा डिस्ट्रीब्यूटर्स

बनाम

कर्नाटक राज्य

सिविल अपील नंबर 2274/2007

निर्णित दिनांक 30 अप्रैल 2007

(एच.एच. कपाड़िया व बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.)

कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003-पहली अनुसूची, प्रविष्टि 5-शुल्क की शून्य दर-''कुत्ते के चारे'' और ''बिल्ली के चारे'' के लिए पात्रता -माना गया- प्रविष्टि 5 के निर्वचन पर, यह स्पष्ट है कि कुत्ते और बिल्ली के चारे प्रविष्टि 5 के अंतर्गत नहीं आते-इसलिए शुल्क की शून्य दर प्रवर्तनीय नहीं हैं- संविधि के निर्वचन के आधार पर।

वर्तमान अपील में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा बेचे गए 'कुत्ते के चारे'' और ''बिल्ली के चारे''पर कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के तहत शुल्क की शून्य दर लागू होती है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया किः कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 से पता चलता है कि पशु चारा और पूरक चारा एक श्रेणी है। यह अभिव्यक्ति पशु चारा और चारा पूरक, के

बाद विधानमंडल ने अल्पविराम लगाया है, इसलिए, पशु चारा और चारा पूरक उत्पादों के एक ही श्रेणी का गठन करते हैं, वे दो अलग-अलग श्रेणियों का गठन नहीं करते हैं। इसके अलावा, अभिव्यक्ति पशु चारा और चारा अनुपूरक के बाद न केवल अल्पविराम आता है, बल्कि इसके बाद शब्द अर्थात् आता है, जो इंगित करता है कि ''अर्थात्'' के बाद उल्लिखित वस्तुएं जैसे 'पोल्ट्री चारा' 'मवेशी चारा', 'सुअर चारा', 'मछली चारा'आदि पशु चारा और चारा अनुपूरक के विशिष्ट उदाहरण हैं, जो प्रविष्टि 5 में आएंगे। यह सूची संपूर्ण है। उस सूची में, विधानमंडल ने'कुत्ते के चारे'' और 'बिल्ली के चारे' को शामिल नहीं किया है, इसलिए अपीलकर्ता के उत्पाद अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत नहीं आते हैं। विधानमंडल का आशय प्रविष्टि 5 में उल्लिखित निर्दिष्ट वस्तुओं पर शुल्क की शून्य दर प्रदान करने का है। उन वस्तुओं में कुत्ते और बिल्ली के चारा का उल्लेख नहीं किया गया है। (पैरा 5 व 6)(1040-ए, बी, 1041-एफ)

विद्याचरण शुक्ला बनाम खूबचंद बघेल एवं अन्य, एआईआर (1964) एससी 1099, प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2274/2007

2006 के एसटीए संख्या 18 में बेंगलुरु स्थित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 18.11.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से एस के बागरिया, आरवी प्रसाद, प्रवीण कुमार और चंद्र शेखर मुलहेरकर।

प्रतिवादी की ओर से संजय आर. हेज, विक्रांत यादव, अमित कुमार चावला और रमेश एस. जाधव।

न्यायाधिपति कपाड़िया, द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. एक संक्षिप्त प्रश्न जो इस सिविल अपील में निर्धारण के लिए उठता है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा बेचा गया 'कुत्ते के चारे'' और ''बिल्ली के चारे'' कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के तहत शुल्क की शून्य दर को आकर्षित करता है।(इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) उक्त प्रविष्टि कर्नाटक अधिनियम संख्या 27/05 के तहत दिनांक 07.06.2005 से डाली गई थी।

3. हम यहां अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 को नीचे उद्धृत कर रहे हैं:-

> ''5. पशु चारा और चारा अनुपूरक, अर्थात्, पोल्ट्री चारा, मवेशी चारा, सुअर चारा, मछली चारा, मछली भोजन, झींगा(प्रॉन) चारा, झींगा (श्रिम्प) चारा और चारा अनुपूरक और खनिज मिश्रण सांद्रण के रूप में बेची जाने वाली प्रसंस्कृत वस्तु, जिसका उद्देश्य चारा अनुपूरक के रूप में उपयोग करना है, जिसमें शामिल हैं तेल रहित केक और गेहूं की भूसी।''

4. अपीलकर्ता के अनुसार, कुत्ते का चारा और बिल्ली का चारा ऐसे उत्पाद हैं जो प्रविष्टि 5 के तहत पशु आहार की श्रेणी में आएंगे। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रविष्टि 5 पशु आहार, आहार की खुराक, अर्थात् पोल्ट्री के रूप में बेची जाने वाली प्रसंस्कृत वस्तु जैसे कि चारा, मवेशी चारा, सुअर चारा, मछली चारा, मछली भोजन, झींगा(प्रॉन) चारा, झींगा (श्रिम्प) चारा, पूरक आहार और खनिज मिश्रण से संबंधित है। अपीलकर्ता के अनुसार, शब्द; मुर्गी चारा, मवेशी चारा, और सुअर चारा आदि खाद्य पूरकों के विशिष्ट उदाहरण हैं। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रविष्टि 5 में 'चारा अनुपूरक' के बाद 'अर्थात्' शब्द से पता चलता है कि विधानमंडल का इरादा 'चारा अनुपूरक' को पोल्ट्री फ़ीड, मवेशी फ़ीड, सुअर फ़ीड, मछली फ़ीड, मछली भोजन, झींगा(प्रॉन) चारा, झींगा (श्रिम्प) चारा तक ही सीमित रखना है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता के अनुसार, पशु चारा और चारा अनुपूरक प्रविष्टि 5 में दो अभिव्यक्तियाँ हैं जिन्हें संयुक्त रूप से नहीं बल्कि विच्छेदित रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रविष्टि 5 में शामिल वस्तुओं की उपरोक्त तीन श्रेणियों में से प्रत्येक अपने आप में काफी पूर्ण और स्वतंत्र है। यह कि, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के बीच ''और'' शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी, पहली श्रेणी के अलावा है, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी की वस्तुएं भी उक्त प्रविष्टि के द्वारा आच्छादित हैं। वस्तुओं की उपरोक्त तीन श्रेणियां जानवरों के चारे के लिए हैं और इन सभी को उक्त प्रविष्टि के तहत रखा गया है। चूंकि प्रविष्टि में वस्तुओं की तीन श्रेणियां शामिल थीं, प्रत्येक श्रेणी के बीच में अभिव्यक्ति 'और' का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि पहली श्रेणी के

अलावा, दूसरी श्रेणी भी शामिल है और दूसरी श्रेणी के अलावा, तीसरी श्रेणी भी शामिल है। 'और' शब्द का प्रयोग 'भी' या 'साथ ही' के अर्थ में किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि ऊपर उल्लिखित प्रविष्टि 5 के तीन भागों में से प्रत्येक एक दूसरे से काफी स्वतंत्र हैं। प्रत्येक भाग अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, पहला भाग जो पशु चारा को आच्छादित करता है जो एक पूर्ण और स्वयं प्रमाणित वस्तु है जो स्वतंत्र रूप से संचालन करने में सक्षम है। प्रविष्टि के दूसरे भाग और तीसरे भाग के संबंध में भी यही समान स्थिति है। इन तीनों भागों में से कोई भी किसी भी प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विराम चिह्न 'अल्पविराम' (,) का उपयोग उक्त प्रविष्टि 5 में प्रत्येक व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा कवर की गई विभिन्न वस्तुओं के बीच में किया गया है। इस प्रकार, दूसरी श्रेणी में ''चारा अनुपूरक'' शामिल हैं, अर्थात, प्रसंस्कृत वस्तु के रूप में बेची जाने वाली पोल्ट्री फ़ीड, मवेशी फ़ीड, सुअर फ़ीड, मछली फ़ीड, मछली भोजन, झींगा(प्रॉन) चारा, झींगा (श्रिम्प) और ''अर्थात'' शब्द के पश्चात अल्पविराम में जो अभिव्यक्ति ''चारा अनुपूरक'' के योग्य बनाता है। प्रविष्टि 5 में ''अर्थात'' अभिव्यक्ति के उपयोग और उसके प्रभाव के संदर्भ में, प्रस्तुति है कि उक्त अभिव्यक्ति ''अर्थात'' का उपयोग प्रविष्टि में शामिल वस्तुओं की दूसरी श्रेणी में किया गया है। इसका उपयोग ''चारा अनुपूरक'' के बाद किया गया है और इसका प्रभाव यह है कि प्रविष्टि द्वारा आछादित किए गए चारा अनुपुरक पोल्ट्री फ़ीड, मवेशी फ़ीड, सुअर फ़ीड, मछली फ़ीड, मछली भोजन, झींगा(प्रॉन) चारा, झींगा (श्रिम्प) के रूप में बेची जाने वाली प्रसंस्कृत

वस्तु हैं कि उक्त शब्द ''अर्थात'' किसी भी तरह से पहली श्रेणी और तीसरी श्रेणी की वस्तुओं के लिये योग्य या संबंधित नहीं है। पशु चारा पहली श्रेणी के अंतर्गत आता है और यह एक स्वयं प्रमाणित वस्तु है और यह श्रेणी काफी स्वतंत्र है और स्वयं स्वतंत्र रूप से संचालन करने में सक्षम है। यह कि, यदि अभिव्यक्ति ''अर्थात'' को प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ''पशु चारा'' के लिए भी योग्य माना जाता है, तो दूसरी श्रेणी की वस्तुओं के लिए प्रविष्टि में उल्लिखित सभी शर्तें और प्रतिबंध पशु चारा पर भी लागू हो जाएंगे। उस स्थिति में, अभिव्यक्ति ''पशु चारा'' का दायरा भी काफी हद तक कम कर दिया जाएगा ताकि इसे केवल प्रसंस्कृत वस्तु और भी कुछ नामित जानवरों की हद तक सीमित कर दिया जावेंगा। पशु चारा विभिन्न प्रकार और किस्मों का हो सकता है। जमे हुए प्रकार के पशु चारा अक्सर कच्चे मांस या समुद्री भोजन तक ही सीमित होते हैं जहाँ बहुत कम या कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रविष्टि को इस तरह से पढ़ने का कोई अधिकार या औचित्य नहीं है ताकि पहली श्रेणी के क्षेत्र और सीमा को सीमित या प्रतिबंधित किया जा सके जो कि ''पशु चारा'' को आच्छादित करने वाली एक स्वयं प्रमाणित श्रेणी है। उक्त अभिव्यक्ति ''पशु चारा'' का प्रयोग प्रविष्टि में किया गया है जो पूरी तरीके से अयोग्य और अप्रतिबंधित है और इसमें सभी प्रकार का पशु चारा शामिल है।

5. हमें तर्कों में कोई गुण दोष नहीं दिखता। उपरोक्त उद्धृत प्रविष्टि 5 से पता चलता है कि पशु चारा और चारा अनुपूरक एक श्रेणी है। यह अभिव्यक्ति ''पशु चारा और चारा अनुपूरक'' के बाद है एवं विधायिका ने अल्पविराम लगाया है, इसलिए पशु

चारा और चारा अनुपूरक एक वर्ग का गठन करते हैं, वे दो अलग-अलग वर्ग नहीं बनाते हैं। इसके अलावा, अभिव्यक्ति ‘‘पशु चारा और चारा अनुपूरक‘‘ के बाद न केवल अल्पविराम लगाया जाता है, बल्कि इसके बाद ‘‘अर्थात‘‘ शब्द भी लगाया जाता है, जो इंगित करता है कि ‘‘अर्थात‘‘ शब्द के बाद उल्लिखित वस्तुएं जैसे मुर्गी चारा, मवेशी चारा, सुअर चारा, मछली चारा आदि पशु चारा और चारा अनुपूरक के विशिष्ट उदाहरण हैं, जो प्रविष्टि 5 में आएंगे। वह सूची संपूर्ण है। उस सूची में विधानमंडल ने कुत्ते का चारा/बिल्ली का चारा शामिल नहीं किया है, इसलिए अपीलकर्ता के उत्पाद अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमारे विचार में मूल आधार जिस पर निर्धारिती की दलीलें आगे बढ़ती हैं, वह यह है कि प्रविष्टि 5 में वस्तुओं की तीन श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात पशु चारा, चारा पूरक और चारा पूरक व खनिज मिश्रण। यह आधार ग़लत है। उक्त प्रविष्टि को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि ‘‘पशु चारा और चारा अनुपूरक‘‘ एक श्रेणी का गठन करते हैं। वे दो अलग-अलग श्रेणियां नहीं हैं। विराम चिह्न ‘‘अल्पविराम‘‘ का उपयोग ‘‘पशु चारा और चारा अनुपूरक‘‘ शब्दों के बाद स्पष्ट रूप से किया गया है, जो इंगित करता है कि विधानमंडल का आशय इन दोनों वस्तुओं को एक वर्ग/श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने का है। इसके अलावा, विधायिका का इरादा उस श्रेणी को केवल प्रसंस्कृत वस्तु तक सीमित करके और वह भी कुछ नामित जानवरों तक सीमित करने का था। वर्तमान मामला बिल्ली के चारे और कुत्ते के चारे से संबंधित है। प्रसंस्करण के कारण बिल्ली के भोजन में मछली जैसी गंध आती है। हालाँकि, संसाधित होने के बावजूद बिल्ली का चारा प्रविष्टि 5 में

नहीं डाला जाता है। इसी तरह, कुत्ते का चारा भी प्रविष्टि 5 से बाहर रखा गया है। इन परिस्थितियों मे निर्धारिती की ओर से दिये गये तर्कों में हम कोई गुणदोष नही पाते है।

6. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम इस न्यायालय के निर्णय विद्याचरण शुक्ला बनाम खूबचंद बघेल और अन्य एआईआर (1964) एससी 1099 का उल्लेख कर सकते है। जिस पर निर्धारिती द्वारा निर्भरता रखी गयी है। उस मामले में परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 29(2) व्याख्या के लिए आई थी। उन में से एक प्रश्न मामले के निर्धारण के लिए उठा कि क्या धारा 29(2) उन मामलों में लागू होगी जहां लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 (''आर.पी'') और परिसीमा अधिनियम, 1908 द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि में अंतर था। हम यहां नीचे धारा 29(2) परिसीमा अधिनियम 1908 उद्धृत कर रहे हैंः

> ''जहां कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिये कोई ऐसा परिसीमा काल विहित करती है जो अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल से भिन्न है वहॉ धारा 3 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो वह परिसीमा काल अनूसूची द्वारा विहित परिसीमा काल हो तथा किसी वाद, अपील या आवेदन के निमित किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा विहित परिसीमा काल का अवधारणा करने के प्रयोजन के लिये।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आर.पी अधिनियम, 1951 एक विशेष कानून था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरपी अधिनियम, 1951 के तहत निर्धारित सीमा अवधि, परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से अलग थी। इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 116-ए(3) के तहत निर्धारित तीस दिनों की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 12 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित गया कि परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 29(2) ऐसे मामले में भी लागू होगी जहां विशेष कानून के तहत निर्धारित अवधि परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से भिन्न हो (पैरा 23 देखें)। वैकल्पिक रूप से, धारा 29(2) के व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्याकरणिक व्याख्या का कोई नियम नहीं था जिसके लिए निर्वचन की आवश्यकता होती है कि यदि वाक्य अपने आप में सम्पूर्ण है और एक संयोजन से जुड़े होते हैं, अर्थात ‘‘और‘‘ शब्द से तब पहले वाक्य को सीमित करने के लिए दूसरे वाक्य को संयोजन चाहिए। हमारे विचार में उक्त निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है। वर्तमान मामले में, प्रविष्टि 5 में ‘‘और‘‘ शब्द को ‘‘पशु चारा‘‘ और ‘‘चारा अनुपूरक‘‘ शब्दों के बीच रखा गया है और उसके बाद विराम चिह्न ‘‘अल्पविराम‘‘ लगाया गया है। इसलिए हम ऐसे मामले से सहमत नहीं हैं जहां दो वाक्यों के जुडे रहने की मांग की गयी हैं । हम

वस्तुओं की विशिष्ट श्रेणी से संबंधित हैं। विधायिका द्वारा 'और' शब्द को दो प्रकार की वस्तुओं के बीच स्थापित किया गया हैं, अर्थात् पशु चारा और चारा अनुपूरक के बीच रखा गया है। ''पशु चारा और चारा अनुपूरक'' को वर्गीकृत करने के बाद विराम चिह्न लगाया जाता है। एक वर्ग के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विधायिका का इरादा ''पशु चारा और चारा अनुपूरक'' को एक श्रेणी में रखने का था। विधायिका का इरादा प्रविष्टि 5 में उल्लिखित निर्दिष्ट वस्तुओं पर शुल्क की शून्य दर प्रदान करने का है। उन वस्तुओं में कुत्ते और बिल्ली के भोजन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

7. उपरोक्त कारणों से, हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में कोई कमी नहीं दिखती है और तदनुसार, हम इस सिविल अपील को खारिज करते हैं कॉस्ट के संबंध में कोई आदेश नही है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनीता शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।